Release of pending TV Serials

1565. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of T.V. serials pending with Doordarshan as on date as compared to the last three years, year-wise;

(b) whether Government are aware of the fact that cassettes of some T.V. serials which are still pending for approval with Doordarshan, are available in local market of the country and have already been telecast in U.S.A. and Canada;

(c) if so, their names and the reasons for their being held up from telecast; and

(d) whether Government propose to have a definite policy for clearing TV serial to be released for telecast within a specified time frame and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Such details are not maintained centrally in a compiled form.

(b) No record is maintained by Doordarshan of Indian serials produced by private agencies available in local markets in cassettes or telecast by TV stations abroad.

(c) Does not arise.

(d) Selection of serials is an ongoing activity. Proposals for serials are selected depending upon the requirements of Doordarshan from time to time.

Setting up of Monitoring Cell for Foreign T.V.

1566. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to establish a monitoring cell near New Delhi for all the foreign television services including Pakistan television to have a check on them;

(b) if so, what are its functions and by when it is likely to start functioning;

(c) what steps Government have taken or propose to take to counter the anti-Indian propaganda by Pakistan near our borders and POK areas; and

(d) whether there is any proposal to set up monitoring cells near our borders and if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) The Government have already established a Central Monitoring Service at Delhi (CMS), the functions of which include monitoring of Radio and T.V. news bulletins and news related programmes from abroad.

(c) It is the constant endeavour of All India Radio/Doordarshan to counter all anti-India propaganda through their programmes in different formats including the external services of A.I.R.

(d) Central Monitoring Service has two field units at Jammu and at Calcutta.

दूरदर्शन की कार्य प्रणाली के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1567. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दूरदर्शन की कार्य प्रणाली की जांच करने का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध यह जांच की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

समाचारपत्रों को रियायती दर पर अखबारी कागज की सप्लाई

1568. **डा. बापू कालदाते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समाचार पत्र समूहों को रियायती दरों पर अखबारी कागज उपलब्ध कराती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ छोटे समाचार पत्र अखबारी कागज को रियायती दरों पर खरीदने के पश्चात उसे ऊंची दरों पर बेच देते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि रत्नागिरी से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र अखबारी कागज को सरकार से रियायती दर पर खरीदने के पश्चात उसे बाजार में बेच देता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समाचार पत्र के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अखबारी कागज की पात्रता के लिए प्रमाणपत्र जारी करने से संबद्ध 5 मई, 1992 को अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अखबारी कागज न तो बचा जाना चाहिए और न ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को सूचित कर एक समाचारपत्र द्वारा दूसरे समाचारपत्र को यह उधार पर दिया जा सकता है। अखबारी रकागज का अनधिकृत इस्तेमाल करने प संबंधित समाचारपत्रों को भविष्य में आयात पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

रत्नागिरी में उच्च शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर का स्थापित किया जाना

1569. **डा०बापू कालदाते :**
श्रीमती मीरा दास :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नागिरी के दूरदर्शन केन्द्र के टी०वी० ट्रांसमीटर की क्षमता कम होने के कारण उस क्षेत्र के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख नहीं पाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां की जनता ने सरकार से कई बार वहां एक उच्च शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो वहां अभी तक एक उच्च शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार रत्नागिरी में कब तक एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) रत्नागिरी कस्बे में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर से, उसकी क्षमता कम होने के कारण, समूचे जिले में टी०वी० सेवा उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाती।